संख्या- /58-2018

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

उद्यान अनुभाग लखनऊ : दिनांक अप्रैल, 2018

विषयः- प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जनसुविधा केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक परियोजना के द्वारा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 में कोल्ड स्टोरेज के लाइसेन्स/विस्तारीकरण/नवीनीकरण के लिए जनहित गारण्टी से संबंधित सेवाओं को आम जनमानस तक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा जन सामान्य को पारदर्शी सेवायें उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। वर्तमान में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उ0प्र0 कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम-1976 के अन्तर्गत कोल्ड स्टोरेज के पंजीकरण एवं नवीनीकरण की प्रक्रिया ऑफ लाइन हो रही थी, को ऑन लाइन कराया जा रहा है। इस सम्बन्ध में जनहित गारन्टी सेवाओं के कार्यक्रमों को www.janhit.uphorticulture.in और www.edistrict.up.nic.in पोर्टल पर अनुज्ञा/अनुज्ञप्ति/नवीनीकरण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। ऑन लाइन प्रक्रिया का विवरण निम्नवत् हैः-

1. उ0प्र0 कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम-1976 के अन्तर्गत अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया।
2. उ0प्र0 कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम-1976 के अन्तर्गत अनुज्ञा के अनुसार निर्माण के उपरान्त लाइसेन्स (अनुज्ञप्ति) पंजीकरण/विस्तारीकरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया।
3. उ0प्र0 कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम-1976 के अन्तर्गत संचालित शीतगृहों के नवीनीकरण कराने के लिए आवेदन की प्रक्रिया।
4. कोल्ड स्टोरेज के लाइसेन्स/विस्तारीकरण/नवीनीकरण के लिए ली जाने वाली लाइसेन्स फीस का विवरण निम्नवत् हैः-

क्र. सं.	कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करने की क्षमता (घ0मी0 में)	सहकारी शीतगृह लाइसेन्स फीस (रु0 में)	सहकारी शीतगृह नवीनीकरण फीस (रु0 में)	निजी शीतगृह लाइसेन्स फीस (रु0 में)	निजी शीतगृह नवीनीकरण फीस (रु0 में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	**01 से 282 तक**	1100	600	1500	800
2.	**282 से अधिक 7000 तक**	4500	2600	6000	3500
3.	**7000 से अधिक 15000 तक**	7500	4500	10000	6000
4.	**15000 से अधिक**	11200	7500	15000	10000
नोट- उपरोक्त पंजीकरण/नवीनीकरण की प्रक्रिया सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारी के स्तर पर 10 दिन में, मण्डलीय उप निदेशक के स्तर पर 05 दिन में तथा निदेशक/लाइसेंसिंग अधिकारी (शीतगृह) के स्तर पर 10 दिन के अन्दर पूर्ण करते हुए लाइसेन्स जारी किया जायेगा।					

5. कोल्ड स्टोरेज के लाइसेन्स/विस्तारीकरण/नवीनीकरण के लिए लाइसेन्स फीस जमा करने के लिए निम्नांकित लेखा शीर्षक में धनराशि जमा करायी जायेगीः-

0401-फसल कृषि कर्म 00800-अन्य प्राप्तियां 08-शीतगृह लाईसेंस फीस

ग्यारह डिजिट का नम्बर

0	4	0	1	0	0	8	0	0	0	8

6. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की उपरोक्त सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट करने के उपरान्त जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों ई-सुविधा केन्द्रों पर आम नागरिकों से प्रत्येक शासकीय सेवा के प्रत्येक ट्रान्जेक्शन के लिए यूजर चार्ज आई.टी. विभाग के शासनादेश के अनुसार लागू होंगे।
7. अगर कोई नागरिक सीधे विभागीय पोर्टल पर सेवा हेतु आवेदन करता है तो उस पर उपरोक्त यूजर चार्जेज लागू नहीं होंगे।
8. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट करने हेतु विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा एन.आई.सी0/एस.ई.एम.टी. की तकनीकी टीम से समन्वय स्थापित किया जायेगा। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेशन के पश्चात् सभी सम्बन्धित स्टेक होल्डर द्वारा पायलट आधार पर टेस्ट रन की कार्यवाही की जायेगी ताकि गो-लाईव के उपरान्त सेवाओं को प्रदान करने में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
9. यह भी सुनिश्चित किया जाना होगा कि समस्त डिलीवरी प्वाइन्ट्स यथा-जन सेवा केन्द्रों/ लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों तथा ई- सुविधा केन्द्रों द्वारा इलेक्ट्रानिक डिलीवरी सेवाओं को प्रदान किये जाने हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाहियॉ यथा-इन्टीग्रेशन इत्यादि पूर्ण कर ली गयी है।
10. आवेदक द्वारा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की सेवाओं को प्राप्त करने हेतु अपने निकटतम जनसेवा केन्द्र, लोकवाणी केन्द्र, जनसुविधा केन्द्र तथा ई-सुविधा केन्द्र में जाकर केन्द्र आपरेटर से अनुरोध करना होगा। तदोपरान्त केन्द्र आपरेटर ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर Login करके सेवा प्रदान करेगा। आवेदक द्वारा प्राप्त की गयी सम्बन्धित सेवा के लिए प्रस्तर-3 में निर्धारित यूजर चार्ज का भुगतान केन्द्र आपरेटर को किया जायेगा।
11. ई-डिस्ट्रिक पोर्टल से आये ई-रजिस्ट्रेशन/ई-रिटर्न को विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा उसी तरह प्रोसेस किया जायेगा जिस तरह वह वर्तमान में अपने विभागीय पोर्टल पर प्रोसेस कर रहे हैं।
12. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाहियॉ शीर्ष-प्राथमिकता पर पूर्ण कराकर कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव

संख्या- **तद् दिनांक।**

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0।
4. राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
5. एस0आई0ओ0 योजना भवन, लखनऊ।
6. हेड एस0ई0एम0टी0, उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0 पी0 सिंह)
विशेष सचिव

संख्याः /तद्दिनांक

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जनपदीय उद्यान अधिकरी, उ0प्र0।
2. समस्त उप निदेशक उद्यान, उ0प्र0।
3. मुख्य उद्यान विशेषज्ञ, खुशरूबाग, इलाहाबाद, बरूआसागर, झांसी तथा मलिहाबाद, लखनऊ।
4. संयुक्त निदेशक, औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, बस्ती एवं सहारनपुर।

(एस0 पी0 जोशी)
निदेशक।